कार्यालय– नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

G20

पत्रांक– 1874 /12–1 :देहरादून:दिनांक: 0 [illegible] 2026

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषयः–जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत रौलाखरक तिनगैर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0, को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/19494/2016)

सन्दर्भ :–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी/यू0सी0पी0/06/27/2020/एफ0सी0/438 दि0 30.06.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयक क्रम में अवगतनीय है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा ने अपने पत्रांक 5046/12–1(2) दिनांक 11.02.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के पास पूर्व से की गयी कटिंग के संबंध में वन पंचायत मल्याल गांव द्वारा कार्यवाही करते हुये कार्यदायी संस्था/ठेकेदार के विरूद्ध चालान करते हुये रू0 45000.00 की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में वसूल कर ली गयी है, उक्त धनराशि से वन पंचायत सरपंच के माध्यम से अवैध निर्माण क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य भी कर लिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

अतः वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा एवं प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या–1874 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून

248

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक -2401 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 18/02/2026.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत रौलाखरक तिनगैर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0- 19494/2016)

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक- 08बी0/यू0सी0पी0 /06/27/2020/एफ0सी0/438, दि0-30.06.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा ने अपने पत्रांक- 5046/12-1(2), दिनांक- 11.02.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के पास पूर्व से की गयी कटिंग के संबंध मं वन पंचायत मल्याल गॉव द्वारा कार्यवाही करते हुए कार्यदायी संस्था/ठेकेदार के विरूद्ध चालान करते हुए रू0 45000.00 की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में वसूल कर ली गयी है, उक्त धनराशि से वन पंचायत सरपंच के माध्यम से अवैध निर्माण क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य भी कर लिया गया है।

अतः प्रकरण पर वन पंचायत सरपंच द्वारा की गयी कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहे।

<u>संलग्न-उपरोक्त</u>

भवदीय

(चन्द्र शेखर जोशी)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

11 FEB 2020

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232162 ई-मेल: almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 5046 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 11 / 02 / 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमांऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय — जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत रौलाखरक तिनगैर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 19494/2016)

सन्दर्भ :— भारत सरकार का पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी/06/27/2020/एफ0सी0/438 दिनांक—30.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा बिन्दु सं0 1 में लगायी गयी आपत्ति के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के पास पूर्व से की गयी कटिंग के सम्बन्ध में वन पंचायत मल्याल गॉव द्वारा कार्यवाही करते हुए कार्यदायी संस्था/ठेकेद्वारा के विरूद्ध चालान करते हुए रू0 45000.00 की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में वसूल कर ली गयी है, उक्त धनराशि से वन पंचायत सरपंच के माध्यम से अवैध निर्माण क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य भी कर लिया गया है।

अतः प्रकरण पर वन पंचायल सरपंच द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रति संलग्न करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 5046 / 12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग,
द्वारा - श्रीमान वन क्षेत्राधिकारी,
वन क्षेत्र सोमेश्वर।

विषय:- रौलाखरक तिनगोर मोटर मार्ग प्रकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि वर्ष 2022 के अन्तर्गत तिनगोर रौलाखरक मोटर मार्ग का वन पंचायत मल्याल गाँव में जो अवैध निर्माण हुआ था। इसके सम्बन्ध में सरपंच वन पंचायत मल्याल गाँव द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार पर उचित कार्यवाही करते हुए, 45,000 रु० का जुर्माना किया गया है। जिसकी धनराशि वनपंचायत मल्याल गाँव के खाता संख्या- 76024388467 (उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक) में दिनांक 03-09-2025 को प्राप्त हुआ है तथा रौलाखरक ग्राम वासियों के सहयोग व सरपंच मल्याल द्वारा वनपंचायत में लगभग 1000 पौधों का रोपण भी कर दिया गया है।

अतः महोदय सरपंच वनपंचायत मल्याल गाँव द्वारा उक्त प्रकरण पर विधिवत कार्यवाही कर ली गयी है तथा बाकी की कार्यवाही आप अपने अनुसार करने कृपा कीजिएगा।

धन्यवाद!

दिनांक- 06/09/2025

Varsha
सरपंच
वन पंचायत मल्याल गाँव

Received
06/09/2025

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय वन क्षेत्र अधिकारी सोमेश्वर
पत्रांक..866/12 दिनांक...6.9.25

मूल में, श्रीमान प्रभागीय
वनाधिकारी, अल्मोड़ा अल्मोड़ा की सेवा
में सूचनार्थ एवं उचित दिशा निर्देश
हेतु साभार प्रेषित। अल्मोड़ा प० पं० मल्ला
स्याल्दे भूमि सं० वन प्रभाग रानीखेत के जालली
रेंज अन्तर्गत आती है।

वन क्षेत्र अधिकारी
सोमेश्वर वन क्षेत्र

अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा
पंजीकृत सं....852
फाईल सं....12-1(2)
दिनांक....9-9-2025